Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

मुन्नी बाई बनाम गुडडी बाई वगै0

अपील संख्या अन्तर्गत धारा 223 आर टी एक्ट अपील संख्या 98/26 GCMS NO 2026/-136

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.5.26	अपील श्री श्याम प्रकाश गर्ग अधिवक्ता ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट/वादिया द्वारा उपखण्ड अधिकारी करौली के यहॉ दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादिया की पुत्रबधु मिथलेश पत्नि महेन्द्र कुमार शर्मा के नाम से आराजी खसरा न0 817 व 818 मे मुताबिक नक्शा प्रतिवादी न0 5 मुन्शी से भूखण्ड संख्या 37 व 38 क्रय किया गया है तथा उसके वाद वादिया के नाम दिनांक 1.9.23 को उक्त भूखण्डो की रजिस्ट्री करवा दी गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा वादग्रस्त भूखण्डो को हडपने के उद्वेश्य से पक्का निर्माण करना चालू कर दिया। जिसे वादिया प्रतिवादीगण के खर्च पर हटवाने की अधिकारी है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादिया /अपीलांट द्वारा चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय मे वादिया के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 4 सीपीसी का जबाब पेश किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 4 सीपीसी को खारिज करते हुए वादी का वाद पत्र श्रेत्राधिकार के आधार पर दिनांक 24.3.26 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि निर्णय व डिक्री जैर अपील तथ्यो एवं कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। दावा वादी साक्ष्य मे नियत था । किसी दावे के साक्ष्य मे नियत रहते साक्ष्य की स्टेज पर क्षैत्राधिकार के आधार पर खारिज किया जाना विधि के प्रावधानो के विपरीत है। वादिया द्वारा पूर्व मे इन्ही जमीनो के सबंध मे दावा मुन्नी बाई बनाम गुडडी वगै0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश करौली मु0न0 61/23 पेश किया था। जिसमे दिनांक 29.11.23 को माननीय सिविल न्यायालय करौली द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए उपरोक्त भूमि कृषि भूमि होने के कारण दावे की सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का माना है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे को क्षैत्राधिकार के अभाव मे खारिज कर अहम कानूनी भूल की है। विवादित जमीन अभी भी कृषि भूमि है कोई आवासीय कन्वर्जन नही हुआ है। दावा प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध निर्माण के विरूद्व बेदखली का	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पेश किया है। जिसकी सुनवाई का श्रेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। क्षैत्राधिकार का बिन्दु तथ्यो एवं कानून का सम्मिश्रण है और इस पर तनकी बनाई जाकर दोनो पक्षो की साक्ष्य लेने के बाद तय किया जा सकता है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया है। जैर अपील निर्णय अदालत मातहत आरर्वेटरी होने से निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री को मंसूख किया जाकर दावा वादी पुनःनम्बर पर लेने के आदेश प्रदान किये जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र 183 व 188 आर टी एक्ट को पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 4 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया था जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 4 सीपीसी को खारिज करते हुए वाद पत्र को भी क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर ख रिज कर दिया गया। जबकि वादग्रस्त आरजीयात खसरा न0 817 व 818 के सबंध मे मुकदमा न0 67/23 उनवानी मुन्नीबाई बनाम गुडडी वगै0 न्यायालय सिविल न्यायालय करौली मे पेश हुआ था। जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र श्रैत्राधिकार के बिन्दु पर दिनांक 29.11.23 को खारिज करते हुए वादग्रस्त आराजीयात की सुनवाई का अधिकार क्षैत्र राजस्व न्यायालय का माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश करौली द्वारा मुकदमा न0 67/23 मे पारित निर्णय को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय अपास्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय का इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर तनकीवार निर्णय पारित करे।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक ण संख्या 53/23 पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 24.3.26 को दावे की हद तक निरस्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दावे को पुनः नम्बर पर लिया जाकर तनकीयात कायम करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर प्रकरण मे तनकीवार निर्णय पारित करे। अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 02.07.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर